

वाराणसी जोन के अन्तर्गत वाराणसी, मिर्जापुर, गोण्डा, फैजाबाद, बस्ती, गोरखपुर, बलिया, इलाहाबाद एवं प्रतापगढ़ नगरों के आवासीय/व्यवसायिक, भवनों, भूखण्डों, दुकानों, कम्युनिटी फेसिलिटी भूखण्डों की नीलामी

नीलामी तिथि
20-03-2015
एवं 26-03-2015
समय
प्रातः 10.30 बजे



नीलामी स्थल: नवीन भवन, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

सम्पत्तियों का प्रकार/संख्या	कुल संख्या	क्षेत्रफल वर्ग मी. में	आरक्षित दर (प्र.व.मी. में)/ अनुमानित मूल्य (रु. लाख में)	टोकन मनी/पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)
पाण्डेयपुर योजना, वाराणसी				
कम्युनिटी फेसिलिटी-2, 3ए-2 (लीज पर) (अनारक्षित) FAR 1.5, ग्राउंड कवरेज 50 एवं अधिकतम ऊँचाई 15 मी0	02	1480.00, 3053	22000.00	16.28 से 33.60 तक
कबीर नगर योजना, वाराणसी				
दुकान-एस-1/11 (अनारक्षित)	01	7.17	18.15	1.82
डोमसैली योजना मिर्जापुर				
दुकान संख्या-एस-2, 3, 6 एवं 7 (अनारक्षित)	04	9.39 से 18.71 तक	4.94 से 9.75 तक	0.50 से 0.98 तक
व्यवसायिक भूखण्ड-105, 110 एवं 114 (अनारक्षित)	03	144.00 से 289.45 तक	17,920.00 से 19,712.00 तक	2.59 से 5.71 तक
झूसी योजना संख्या-2, इलाहाबाद				
दुकान एस-2/10 एवं 2/11 (अनारक्षित)	02	13.59 एवं 16.56	10.10 एवं 11.70 तक	1.01 एवं 1.17
झूसी योजना संख्या-3, इलाहाबाद				
आवासीय भूखण्ड 11/305-ए (अनारक्षित)	01	126.96	11,200.00	0.72
उच्च आय वर्ग भवन संख्या-6-167/1 के बगल अतिरिक्त भूमि (अना.)	01	121.00	11,200.00	0.68
चन्द्रशेखर आजाद नगर योजना, इलाहाबाद				
प्लेट फार्म CPL P-1,2,6,7 (अनारक्षित) P-9,14 एवं 15 (अ.पि.वर्ग)	07	11.10 से 20.01	39,200.00 से 45,120.00	0.48 से 0.87
इन्दू विहार योजना, प्रतापगढ़				
आवासीय भूखण्ड सं0-ए-66 (उक्त भूखण्ड की नीलामी रिट याचिका संख्या 5571 (MB) 2008 के निर्णय के अधीन की जायेगी।)	01	250	7840 प्र.व.मी.	0.98
सूरजकुण्ड योजना, गोरखपुर				
आवासीय भूखण्ड-डी-10, डी-2/1 (अनारक्षित)	02	232.00 एवं 255.00	17,920.00	2.08 एवं 2.29
शाहपुर योजना संख्या-1, गोरखपुर				
व्यवसायिक भूखण्ड-सी.पी.-1 (अनारक्षित)	01	81.00	33600.00	2.73
शाहपुर योजना संख्या-2/3, गोरखपुर				
दुकान LGF 1 से 12 एवं UGF-7 (अनारक्षित)	13	9.633 से 9.922	6.93 से 10.66 तक	0.69 से 1.07
हरपुर योजना, बलिया				
आवासीय भूखण्ड	08	25.05	14,560.00 प्र.व.मी.	0.20
कटस योजना, बस्ती				
आवासीय भूखण्ड-11-3/10 (अनारक्षित)	01	127.50	9,856.00	0.63
अवधपुरी योजना, फैजाबाद				
व्यवसायिक भूखण्ड-सी.पी.-6ए, 6बी, 7 एवं 1341/1 (अनारक्षित)	04	243.81 से 368.50 तक	16,800.00	4.10 से 6.20 तक
कियोस्क के-2 से के-4 (अनारक्षित)	03	4.50 प्रति नग	1.80 प्रति नग	0.18
भारतपुरी योजना, गोण्डा				
प्राइमरी स्कूल भूखण्ड-फेज-2 एवं फेज-3 (अनारक्षित) FAR 1.5 ग्राउंड कवरेज 50 एवं अधिकतम ऊँचाई 15 मी.	02	1587.50 एवं 1826.82	8400.00 (प्रति नग)	13.34 एवं 15.35
आवासीय भूखण्ड-पी-110, पी-1201/1, पी-1989 एवं पी-1435 (अना.)	04	41.81 एवं 336.40	7840.00 एवं 8624.00	0.17 एवं 1.46
व्यवसायिक भूखण्ड-सी.पी.-1861/5 (अनारक्षित)	01	368.15	17,248.00	6.35
अ.आ. वर्ग भवन सं0-1593 (अनारक्षित)	01	84.96	11.78	0.59

नोट :- हरपुर योजना, बलिया के 08 आवासीय भूखण्ड (25.05 वर्ग मीटर) के लिए आरक्षण दिनांक 20.03.2015 को तथा प्राप्त आवेदनों के आधार पर लाट्री से आवंटन दिनांक 26.03.2015 को किया जायेगा।

विशेष सूचना :- दिनांक 20.03.2015 को आवंटन/नीलामी से अवशेष सम्पत्तियों का निस्तारण आवंटन/नीलामी के माध्यम से दिनांक 26.03.2015 को सम्पन्न किया जायेगा।

नोट:- शैक्षिक भूखण्ड हेतु रु. 1000/- कार्यालय में नगद जमा करके पुस्तिका दिनांक 09.03.2015 को प्राप्त कर पुस्तिका में संलग्न आवेदन पत्र के साथ रु. 5000/- का बैंक ड्राफ्ट सहित आवश्यक प्रपत्रों को 30 दिन के अन्दर सम्बन्धित कार्यालय में जमा कर सकते हैं, प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण एवं शॉर्ट लिस्टिंग के उपरान्त वैध/पात्र आवेदक संस्थाओं को आगामी निर्धारित तिथि पर नीलामी में भाग लेना होगा, प्राप्त उच्चतम बोली पर परिषद मुख्यालय द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। 1 अप्रैल, 2015 से प्रचलित भूमि दर प्रभावी होगी।

सामान्य सूचना :- (1) समस्त सम्पत्तियों की आवंटन/नीलामी शासनादेश/परिषद आदेशों एवं नियमों के अनुसार किया जाएगा। (2) सम्पत्तियों की विस्तृत जानकारी तथा नीलामी में भाग लेने विषयक सीलड बिड फार्म का प्रारूप निर्धारित मूल्य रु. 100.00 जमा कर संबंधित शहर/योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। (3) आवासीय सम्पत्ति हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5% एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों में सम्पत्ति के मूल्य का 10: धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जो "उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में सम्बन्धित नगर में भुगतान योग्य देय हो, के साथ नीलामी तिथि से एक दिन पूर्व सीलड बिड के साथ जमा करना होगा। (4) सम्पत्ति आवंटन/नीलामी नियम शर्तें एवं शपथ पत्र की विस्तृत जानकारी परिषद की वेबसाइट <http://www.upavp.com> से प्राप्त की जा सकती है।

आवास आयुक्त

परिषद से सम्बन्धित समस्या के निराकरण हेतु **जन सुविधा केन्द्र** की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं।

परिषद से सम्बन्धित समस्या के निराकरण हेतु
जन सुविधा केन्द्र
की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं।

डायल करें 1800-180-5333
(टोल-फ्री) 0522-2236803
यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक उपलब्ध है।

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
सेवोत्तम प्रमाणित संस्था
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ,
Website: <http://www.upavp.com>; E-mail: info@upavp.com

